न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	सत्यनारायण सैन (नायब तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	57 / 2022
सरकार	बनाम	सत्यपाल पुत्र गुगनराम जाति–जाट, निवासी–ख्यालियो की ढ़ाणी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 01.07.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सत्यपाल पुत्र गुगनराम जाति–जाट, निवासी–ख्यालियो की ढ़ाणी द्वारा रोही मौजा ख्यालियो की ढ़ाणी की राजकीय भूमि ख.नं. 153 / 82 कुल रकबा 10.52 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.28 है0 भूमि पर तीन डारा व बाड़ा बनाकर तथा कुरडी व चारा डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गैर सायल द्वारा अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया व गै.मु. जोहड़ की नपती की मांग की। अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 105 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० हे० स० 4 के पृष्ठ सं. 09 पर
वर्ष 2022-23 में रुपये 105/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सत्यनारायण सैन)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़